KYC - SELF DECLARATION - INDIVIDUAL CUSTOMER

केवायसी स्वंयम घोषणा पत्र — व्यक्तीगत ग्राहक

-	
सूच	ч.
7.7	

अधिकृत कलेक्टर को स्वतंत्र घोषणा पत्र दिया जाना चाहिए।

यहि वे उपयुक्त दस्तावेजों की विशे	ा, पठनीय और	स्व-हस्ताक्षरित	प्रति के प	ाक्ष में कोई	अनाधिकृत	या अस्पटीकृत	वृतचित्र प्रदान	करते
है तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएग	I							
यदि आप मुख्य अधिकारी के नाम	ने एक या एक	से अधिक संयु	क्त खातों	का उपयोग	कर रहे हैं,	तो प्रत्येक सं	युक्त खाताधारव	क्र या

ग्राहक का पूरा नाम:	
पैन नंबर :	
दिनांक:	
रिंग में खाताधारक / प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर	
(जैसा कि बैंक में प्रस्तुत किया गया है)	

Disclaimer: This document is a vernacular translation of the English version document. In case of any variation in the terms, meaning or intent, the English version shall be considered as definitive version.